>

Title: Need to amend the guidelines of Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) in order to provide grants to Drought Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) in Rajashthan.

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, एआईबीपी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं- डीपीएपी तथा डीडीपी चलाई जा रही हैं। डीडीपी परियोजना राजस्थान के 16 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सितम्बर 2011 तक कुल 3 लाख 48 हजार 2 सौ 57 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है। वहीं डीपीएपी योजना राज्य के ग्यारह जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत सितम्बर 2011 तक 1 लाख 27 हजार 4 सौ 33 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है। जहां डीपीएपी परियोजना के अंतर्गत केन्द्र द्वारा योजना का कुल 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दिया जाता है। वहीं डीडीपी योजना में केन्द्र मात्र 25 प्रतिशत ही अनुदान देता है। राजस्थान में डीडीपी परियोजना के तहत सम्मिलित जिले, डीपीएपी योजना के अंतर्गत सम्मिलित जिलों से कहीं अधिक पानी की कमी से पीड़ित हैं। सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राजस्थान राज्य की विषम परिस्थितियों को देखते हुए एआईबीपी और अन्य योजनाओं के मानदंडों और दिशा-निर्देशों में परिवर्तन कर दोनों योजनाओं में अनुदान की राशि 90 प्रतिशत की जाए।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal and Shri P.L. Punia are permitted to associate themselves with the issue raised by Dr. Jyoti Mirdha.